nwda.gov.in

जल प्रबंधन पर राज्यों को सहमत करने की कोशिश

मनीष तिवारी ● जागरण

- वाटर विजन 2047 के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण जरूरी
- भंडारण के नए प्रोजेक्टों के साथ ही मौजूदा ढांचे के विस्तार पर होगा काम

नई दिल्ली : वर्ष 2047 तक सभी को बिना बाधा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। वह राज्यों को माडल एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन कानून अपनाने के लिए राजी करने में जुट गई है। उदयपुर में राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के साथ दो दिवसीय बैठक के दौरान जलशक्ति मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए इस कानून के महत्व को रेखांकित किया।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन विधेयक राज्यों में मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में एक प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था पर केंद्रित है। यह प्राधिकरण ही पानी से जुड़े सभी मसलों पर नीतिगत निर्णय लेगा। इसी तर्ज पर जिलों, शहरों और गांवों में भी व्यवस्था की जानी है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधन के प्रबंधन को व्यवस्थित करना और उसके फिर से उपयोग को बढ़ावा देना है। जलशक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है कि प्रयोग हो चुके पानी के फिर से इस्तेमाल की क्षमता को बीस प्रतिशत बढ़ाना है।

जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन में वाटर विजन-2047 के अनुरूप जल प्रशासन के ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सभी राज्य इस पर एकमत हैं कि घरेलू, कृषि और उद्योग, सभी के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की चुनौती गंभीर है। इसे देखते हुए पानी के ढांचे में बुनियादी बदलाव वाले कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए पानी के भंडारण की क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा। पानी के भंडारण के लिए न केवल नए प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे, बल्कि मौजूदा ढांचों का विस्तार भी प्राथमिकता के आधार पर होना है।